

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/करौली/2014 पार्ट


जयपुर, दिनांक : 14.7.17

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाढ (कैमरी) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलापाडा, तहसील नादौती, जिला करौली में समन्वित किया गया था। उक्त आदेशों के क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाढ (कैमरी) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीलापाडा, तहसील नादौती, जिला करौली में किए गए समन्वयन से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,




(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्ववत संचालन की व्यवस्था करावे।
- ✓ 11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
12. संभागीय आयुक्त,
13. जिला कलक्टर, करौली।
14. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग।
15. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, संभाग
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, करौली।
17. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा